HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 372/2026

In

S.B. Criminal Appeal No. 420/2026

Ramu Son Of Shri Gopal, Resident Of Dagra, Thana Dihauli, District Dholpur. (At Present Confined In District Jail Dholpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Neeraj Sharma Mr. Vikram Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **रामू** की ओर से विचारण न्यायालय–**सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज0)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**05/2018, राजस्थान राज्य बनाम धर्मपाल एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 0**7.02.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी–अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक

28.09.2017 से 12.01.2018 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 07.02.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उनके द्वारा भी घटना के संबंध में परिवादी पक्ष के विरूद्ध क्रॉस एफ.आई.आर. संख्या–126/2017 दर्ज कराई गई है, घटना में परिवादी पक्ष अग्रेसर रहा है, विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को दोषसिद्धि करते हुए अधिकतम पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस–केस दर्ज कराए गए हैं, अतः प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस

न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **रामू पुत्र श्री गोपाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /35